न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसिया

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर. ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 240/2019.

प्रार्थी :-

पपाराम परिहार पुत्र श्री घेवरराम जाति माली निवासी ग्राम बालरवा तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी
2. ओमाराम पुत्र श्री रेवन्तराम
3. रमा पत्नी श्री ओमाराम जाति माली निवासी ग्राम बालरवा तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी :- सरकारी पेरोकार उपस्थित

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

-::निर्णय ::-

दिनांक :- 29/11/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा सख्या 499/10 रकबा 02 बीघा 10 बिश्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हे लेकिन राजस्व रेकर्ड नक्शा में उक्त गैर मुमकिन रास्ता का खसरा संख्या 499/6 रकबा 05 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त रास्ता के खसरा सख्या 499/10 जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 में खाता सख्या 388 में जो गैर मुमकिन रास्ता के खसरा सख्या 499/10 के स्थान पर 499/6 लिखा गया है

सहायक कलेक्टर, ओसियां

जो भूलवश लिखा गया है राजस्व रेकर्ड में भिन्न भिन्न खसरा लिखे हुए होने के कारण प्रार्थी को भी परेशानी होती है इसलिए दरूस्त किया जाना आवश्यक है । अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बालरवा के खसरा सख्या 499/10 गै. मुमकिन रास्ता को राजस्व नक्शा में खसरा सख्या 499/6 के स्थान पर जमाबन्दी अनुसार खसरा सख्या 499/10 दुरूस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया व तथ्य अंकित किये कि उक्त रास्ता के खसरा सख्या 499/10 में जो गै मु रास्ता लिखा हुआ है जो सही है लेकिन राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में 499/6 लिखा दिया है जो भूलवश लिख दिया है इसलिए खसरा सख्या 499/6 के स्थान पर जमाबन्दी के अनुसार खसरा सख्या 499/10 दुरूस्त का आदेश सादिर फरमावे।

पत्रावली में बहस सुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह जाहिर है कि राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में वर्णित खसरा सख्या 499/10 की भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है लेकिन नक्शा टेस में खसरा सख्या 499/6 लिखा हुआ है जो काबिल ए दुरूस्त के है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा सख्या 499/6 के स्थान पर राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में 499/10 दुरूस्त कर अंकित किया जाने का आदेश पारित किया जाता है । आदेश की पालना हेतु तहसील तिवरी को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

निर्णय आज दिनाक 29/7/19 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम

Scanned by CamScanner